

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ - 226001

फ़ोन नंबर- 22231332-35,2237 023,2239 011/42, e-mail - upinformation@nic.in

२३० लाख २ हजार

आर**ः ओ**० संख्या - 157140

सू० एवं ज० सं० वि०-(विज्ञापन वर्गीकृत)

दिनांक- 20/11/2020

सेवा में,

निर्धारित प्रकाशन तिथि- दिनांक 22/11/2020 से 23/11/2020 तक

क्र०सं०	कोड नं0	समाचार पत्र का नाम	भाषा	स्थान	स्तर	आवंटित स्थान वर्ग से० मी०	दर वर्ग से०मी० (रू० में)	विज्ञापन का मूल्य
1	MRD-DLY-769	अमर उजाला	हिंदी	मुरादाबाद	मण्डल	200	52.69	10538.00
2	MRD-DLY-771	जागरण (मुरादाबाद)	हिंदी	मुरादाबाद	जिला	200	35.55	7110.00
3	SHR-DLY-7293	देश दुलारा	हिंदी	सहारनपुर	जिला	200	16.87	3374.00
4	MFR-DLY-146	पूरव पश्चिम ज्योति	हिंदी	मुजफ्फरनगर	जिला	200	24.64	4928.00
5	SHR-DLY-83	मनीष टाइम्स	हिंदी	सहारनपुर	जिला	200	25.85	5170.00
6	SHR-DLY-2307	मानव जगत	हिंदी	सहारनपुर	जिला	200	25.85	5170.00

कੁਲ:- 36290.00

महोदय,

- 1. आर० ओ० में निर्धारित आकार से अधिक आकार में विज्ञापन छापने पर बीजक का भुगतान आर० ओ० के अनुरूप ही किया जायेगा, प्रश्नगत विज्ञापन सम्बन्धित समाचार पत्र के नगर संस्करण के अतिरिक्त समस्त डाक संस्करणों में भी प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2. विजापन बिल का भुगतान प्रकाशन की तिथि को लागू डी० ए० वी० पी० द्वारा निर्धारित दर अथवा उस अवधि के लिए विभाग द्वारा निर्धारित दर पर ही किया जायेगा, बिल अग्रिम रसीद सहित तीन प्रतियों में सूचना निदेशालय अथवा जिला सूचना कार्यालय (जैसी स्थिति हो) को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
- 3. विजापन प्रकाशित होने के दूसरे दिन सूचना निदेशालय, लखनऊ की निरीक्षा शाखा में अथवा सम्बन्धित जिला सूचना कार्यालय जहां से आर० ओ० निर्गत हुआ हो, को समाचार पत्र, जिसमें विजापन प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। यदि समाचार पत्र उत्तर प्रदेश या दिल्ली से बाहर का है, तो उसे प्रकाशन तिथि से चार दिन के भीतर उपरोक्तानुसार प्रश्नगत समाचार पत्र की एक प्रति निदेशालय अथवा सम्बन्धित जनपद कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
- ४. प्रत्येक पत्र व्यवहार में विज्ञापन आदेश की संख्या एवं दिनांक का अवश्य उल्लेख किया जायेगा।
- ५. मूल समाचार पत्र के प्रमुख पृष्ठ पर ही विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये परिशिष्टों, प्रथक पृष्ठ (Inserted) पर प्रकाशित विज्ञापन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- ६. प्रकाशक की भूल से विज्ञापन सामग्री के मुद्रण में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है, तो प्रकाशन द्वारा उसे शुद्ध रूप में पुनः निःशुल्क प्रकाशित करना होगा इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट एवं आर० ओ० संख्या प्रकाशन न करने पर बीजकों से दस प्रतिशत धनराशि की कटौती कर ली जायेगी साथ ही विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी विज्ञापन सामग्री में यदि कोई तथयात्मक त्रुटि पायी जाती है, तो प्रकाशक/सम्पादक/विज्ञापन एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
- 7. यदि विजापन, विजापन एजेंसी के मध्यम से निर्गत किया जाता है, तो एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाचार पत्र जिस भाषा में प्रकाशित है, उसी भाषा में विजापन भी प्रकाशित किया जाय, इस हेतु विभाग द्वारा विजापन का आलेख हिन्दी भाषा में ही निर्गत किया जायेगा, जिसका सही अनुवाद कराकर वांछित भाषा में विजापन सामग्री की मूल भावना की शुद्धता के साथ समाचार पत्र में विजापन प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित एजेंसी की होगी, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी, यदि समाचार पत्र की भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में विजापन प्रकाशित किया जाता है, तो एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजक से 15 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर ली जायेगी।
- ८. प्रकाशक/सम्पादक/विज्ञापन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकाशक विज्ञापन से सम्बन्धित समाचार की एक प्रति उस विभाग के विभागाध्यक्ष को भी निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।
- 9. विज्ञापन का भुगतान निम्न बातों की पुष्टि करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- क. प्रकाशित विज्ञापन सामग्री पठनीय, सुँव्यवस्थित तथा दाग धब्बों रहित एवं उसमें काट-पीट नहीं होना चाहिए।
- ख. समाचार-पत्र/पत्रिकाओं का नाम, पृष्ठ संख्या वर्ष, अंक, कुल मुद्रित पृष्ठ, मूल्य, स्थान,दिन व दिनांक मुद्रित होना चाहिए।
- ग. समाचार-पत्र/पत्रिकाओं की प्रिंट लांड्रन में मुद्रक, प्रकाशक, स्वत्याधिकारी एवं स्थानीय पता तथा अलग से सम्पादक का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए पी० आर० बी० एक्ट के आधीन जिम्मेदार होंगे।
- 10. बीजक के साथ विज्ञापनादेश की मूलप्रति संलग्न की जाय मूल विज्ञापनादेश संलग्न न होने की दशा में बीजक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- ११. डी० ए० बी० पी०/विभागीय दर जो भी स्वीकृत हो, जिला सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति बीजक के साथ संलग्न किया जाय।
- 12. विज्ञापन का भुगतान निम्न विवरण सही पाये जाने पर ही किया जायेगा।
- क. आर० एन० आई० नम्बर हो|
- ख. डी० ए० वी० पी०/विभागीय दर स्वीकृत हो।
- १३. किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।
- १४. साप्ताहिक समाचार पत्र में चार पृष्ठ तथा पाक्षिक समाचार पत्र में आठ पृष्ठ होना अनिवार्य है।
- 15. जिस भाषा का समाचार पत्र है विज्ञापन उसी भाषा में प्रकाशित कराया जाए।
- 16. विज्ञापनादेश पत्र की संख्या व तिथि विज्ञापन सामग्री के नीचे कोड नम्बर के रूप में तथा विज्ञापन वेबसाइट www.up.gov.in पर उपलब्ध है, अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें। प्रकाशित न होने की दशा में बीजक में से दस प्रतिशत धनराशि की कटौती कर ली जायेगी।
- १७. समाचार पत्र को भुगतान के समय नगर एवं डाक संस्करण की प्रति लगाना अनिवार्य है बिना इसके भुगतान किया जाना सम्भव न होगा।

आजा से

कृते सूचना निदेशक

संख्या उ० प्र० 157140 /सू०एवं ज० सं० वि०-(विज्ञापन वर्गीकृत)-तिद्दनांकित

प्रतिलिप: अधीक्षण अभियन्ता ४७वॉ वृत्त लो०नि०वि० मुरादाबाद, को उनके पत्र संख्या दिनांक १५९८ / १७/११/२०२०

के सन्दर्भ में सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रषित

- 1. प्रत्येक पत्र व्यवहार में इस विज्ञापन आदेश पत्र की संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य करें उपरोक्त समाचार पत्रों के अंक प्राप्त करने हेतु पत्र में अंकित आदेश संख्या एवं दिनांक का अंकन कराते हुए समाचार पत्र से सम्पर्क करें और सम्बन्धित विभाग प्रकाशन की पुष्टि स्वयं करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही करें।
- 2. प्रतिलिपि केन्द्रित भुगतान प्रभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3. प्रभारी, निरीक्षा शाँखा, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उ० प्र० लखनऊ।